

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक / / 2026

संचिका संख्या-2/टी०-21/2025- /स्वा०, कार्यहित में बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं बिहार दन्त चिकित्सक सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सकों को अपने वेतनमान में स्तंभ-3 में अंकित पदस्थापन स्थल से स्थानान्तरित करते हुए स्तंभ-6 में अंकित पद/स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अनुक्रमांक सं० /निबंधन सं० /आवेदन सं०	गृह जिला	पद/पदस्थापित स्थान
1	2	3	4	5	6
1	डा० मनी पंजियार, दन्त चिकित्सक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहेरी, दरभंगा	500745/2019	मधुबनी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटी, दरभंगा
2	डा० अभिलाषा रानी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरिया, लखीसराय	OB0001700	पटना	बाह्य सेवा के रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना (अपने वेतनमान में)
3	डा० दिव्या रश्मि, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नूरसराय, नालन्दा	BR001504400 01811	पटना	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
4	डा० अभिलाषा कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलुआ बाजार, छात्तापुर, सुपौल	BR001504400 06060	सहरसा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुनपुन, पटना
5	डा० रजनी कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लहलादपुर, सारण	BR001501600 00227	वैशाली	बाह्य सेवा के रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना (अपने वेतनमान में)
6	डा० कुशाग्र, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग)	अनुमंडलीय अस्पताल, महुआ, वैशाली	BR001501500 00069	मुजफ्फरपुर	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर

- उपर्युक्त सभी चिकित्सकों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर तुरंत योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/नियंत्रि पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त चिकित्सकों के पदस्थापन अतिरेक हो जाने की स्थिति में उन्हें मुख्यालय (स्वास्थ्य विभाग) में अविलम्ब योगदान कराना सुनिश्चित करेंगे।
- इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सक के पदस्थापन के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित/अवक्रमित समझी जायेगी।
- उपर्युक्त सभी चिकित्सकों के वेतनादि का भुगतान उनके नव पदस्थापित स्थान से किया जाएगा।

655(2)
21/1/26

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/—
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/टी०-21/2025-655(2)/स्वा०, पटना, दिनांक-2/4/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यापालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी विशेषज्ञ/सामान्य/दन्त चिकित्सको पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री अमित कुमार, डाटा एनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।